आदेश	कार्यवाही विवरण
15.09.12	पत्रावली पेश। इति नकुलाम उप०। प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी की गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जावे जबकि वकील वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे। दोनों पक्षों को सुना गया। बहस सुनने करने के उपरान्त मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति कि तीनों ही प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे का निस्तारण होने तक स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर हो। सि०

Scanned by CamScanner